HISTORY

B.A.(Hon's) PART-II

Paper-III (Mediaeval Indian History)

Unit-II (Khilji Dynasty..)

Dr. GUDDY KUMARI

(Guest Lecturer), History Deptt.

A.N.D. College, Samastipur

Lecture Series - 26

(इस PDF का Audio or videos देखने के लिए नीचे लिखे लिंक को CLICK करें ☐☐☐।

https://youtu.be/wBeoVrOdUnY

"अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति"

(Economic Policy of Alauddin Khalji)

अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का एक सफल प्रशासक तथा कुशल प्रबंधक था। वह 1296 ई में दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त की। उसकी शासन व्यवस्था पूर्णरूपेण सुसंगठित, निरंकुश तथा विशुद्ध सैनिक शासन था। सैनिक बल पर ही उसने उत्तर तथा दक्षिण भारत में विजय पताका फाहरायी थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन प्रबंध की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि उसने राजनीति को धर्म से एकदम अलग कर दिया था। उसके शासनकाल में उलेमाओं तथा मूल्लाओं का कोई प्रभाव नहीं था। अलाउद्दीन वही करता था जो उसके विचार से राज्य के हित में होता था।

अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार..

अलाउद्दीन को अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एवं निरन्तर हो रहे मंगोल आक्रमणों के कारण एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान के पास लगभग 50,000 दास थे। जिन पर अत्यधिक खर्च होता था। इन तमाम खर्चों को दृष्टि में रखते हुए अलाउद्दीन ने एक **नई आर्थिक नीति** का निर्माण किया। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के विषय में हमें व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीखे–फिरोजशाही से मिलती है। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत मूल्य नियंत्रण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक 'खजाइनुल–फतह", इब्नबतूता की पुस्तक रिहला, एवं इसामी की पुस्तक 'फुतूहस्सलातीन से भी मिलती है।

DR. GUDDY KUMARI(A.N.D. COLLEGE)

✓**वस्तुओं का मूल्य निर्धारण:–** अलाउद्दीन ने एक अधिनियम द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं फा मूल्य निश्चित कर दिया । कुछ महत्वपूर्ण अनाजों का मूल्य इस प्रकार था। गेहूं 7.5 जीतल, चावल 5 जीतल, जौ 4 जीतल, उड़द 5 जीतल, मक्खन या घी ढाई किलो 1 जीतल । मूल्यों की स्थिरता, अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसने खाद्यानों की बिक्री हेतु शहना–ए–मंडी नामक बाजार की स्थापना की । प्राकृतिक विपदा से बचने के लिए अलाउद्दीन ने शासकीय अन्न भण्डारी की व्यवस्था की थी। अपनी राशन व्यवस्था के अन्तर्गत अनाज को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सुल्तान ने दो क्षेत्र से लगान अनाज के रूप में वसूल किया पर पूर्वी राजस्थान के छाईन क्षेत्र से आधी मालगुजारी अनाज में और आधी नगद रुप में वसूली जाती थी। अकाल या बाढ़ के समय प्रत्येक घर को प्रतिदिन आधा मन अनाज देता था। राशनिंग व्यवस्था अलाउद्दीन की नवीन सोच थी। मलिक काबुल को अलाउद्दीन ने खाद्यान्न या अन्न बाजार का शहना–ए–मंडी नियुक्त किया था।

सराय–ए–अदल' ऐसा बाजार होता था जहां पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक जलाने का तेल एवं अन्य निर्मित की गई वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। सराय ए–अदल निर्माण बदायूँ द्वार के समीप एक बड़े मैदान में किया गया था। इस बाजार में एक क टंके से लेकर 10,000 टंके मूल्य की वस्तुएं विकने के लिए आती थीं। अलाउद्दीन ने कपड़े का व्यापार करने वाले व्यापारी को खाद्यात्र क व्यापारियों की तुलना में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया।

✓**आर्थिक प्रशासन:–** दिल्ली में आकर व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यापारी को दीवान–ए–रियासत में अपना नाम लिखवाना पड़ता था। अलाउद्दीन के बाजार नियन्त्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन 'दीवान–ए–रियासत' नाम का अधिकारी करता था। उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी वस्तुओं के क्रय–विक्रय एवं व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक जिसे शहना–ए–मंडी कहा जाता था, बाजार का उच्च अधिकारी होता था । इसके अधीन 'बरीद' होते थे जो बाजार के अन्दर घूम कर बाजार का निरीक्षण करते थे । बरीद के नीचे मुनहियान व गुप्तचर कार्य करते थे । अधिकारियों का क्रम इस प्रकार था– दीवान–ए–रियासत, शहना–ए–मंडी, वरीद, मुनहियान। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए–रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन ने 'परवाना–नवीस' नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इसका कार्य होता था तस्बीहस तबरेज, कंज माबरी, सुनहरी जरी, देवगिरी रेशम, खुज्ञे दिल्ली एवं कमरबंद जैसी वस्तुओं को बेचने के लिए परवाना–नवीस (परमिट) जारी करना।

घोड़ा, दासों एवं मवेशियों के बाजार में मुख्यतः चार नियम लागू थे–

(1) किस्म के अनुसार मूल्य का निर्धारण (2) व्यापारियों एवं पूंजीपतियों का बहिष्कार, (3) दलाली करने वाले लोगों पर कठोर अंकुश, (4) सुल्तान द्वारा बार–बार जाच पड़ताल मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में 'मुहतसिव' (सेंसर) एवं 'नाजिर नाप–तोल अधिकारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

✓**राजस्व एवं कर व्यवस्था–** राजस्व सुधारों के अन्तर्गत अलाउद्दीन ने सर्व प्रथम (मिल्क, ईनाम एवं वक्फ के अन्तर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। साथ ही मुखद्दमों,, खूतो एवं बलाहारो के विशेष अधिकार को वापस ले लिया। अलाउद्दीन ने पैदावार का पचास प्रतिशत भूमिकर (खराज) के रुप लेना निश्चित किया। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान या जिसने भूमि की पैमाइश नाप कराकर (मसाहत) एवं भूमि की वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया। अलाउद्दीन भूमि के एक विश्वा को एक इकाई माना। सुल्तान लगान को अन्न में वसूलने को महत्व देता था। अलाउद्दीन द्वारा लगाये गये दो नवीन कर थे– चलाई कर दुधारू पशुओ पर लगाया जाता था और घरी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। करी या करही नाम के कर का भी जिक्र मिलता है। 'जजिया" कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था।

DR. CUDDY KUMARIA.N.D COLLEGE

खुम्स कर 4/5 भाग राज्य के हिस्से में एवं पांचवां हिस्सा सैनिकों को मिलता था। जकात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, जो सम्पति का 40 वां हिस्सा होता था।

अलाउद्दीन अपना अन्तिम समय अत्यन्त कठिनाई में व्यतीत करता 5 जनवरी 1316 को मृत्यु को प्राप्त हो गया।

!!!!!धन्यवाद!!!!

DR. GUDDY KUMARI(A.N.D COLLEGE)